



**कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 4, तृतीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 193 / त.शा.-2 / F-116-APP(S) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017 नया रायपुर, दिनांक 05-09-17
// आदेश //

सहायक निर्देशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र क्रमांक बी.ओ.ए.टी. / आई.एम.पी.-XIII / 614201 / 17787 / दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) के अंतर्गत इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 78 / त.शा.-2 / F-116-APP(S) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017 दिनांक 20.05.2017 एवं आदेश क्रमांक 97 दिनांक 22.05.2017 द्वारा जारी आदेश के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :-

क	नाम	श्रेणी	डिग्री / डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	टीप
ट्रेड - सिविल इंजीनियरिंग					
1	कु. मेघारानी कौशिक	सामान्य	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड दुर्ग	
2	कु. कामिनी	अ.जा.	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड बिलासपुर	
3	श्री आकाश सिंह	अ.जा.	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड रायपुर	
4	श्री पृथ्वीराज	अ.जा.	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड बिलासपुर	
5	कु. रोशनी तिवारी	सामान्य	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड रायपुर	
ट्रेड - मेकैनिकल इंजीनियरिंग					
6	श्री मनोज कुमार	अ.जा.	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड रायपुर	
ट्रेड - आई.टी. इंजीनियरिंग					
7	श्री संतोष कुमार गबेल	अ.जा.	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड जांजगीर-चांपा	
8	कु. शगुप्ता खान	सामान्य	डिग्री	लो.स्वा.यां.वि. खण्ड रायपुर	
ट्रेड - मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट					
9	कु. उमा साहू	सामान्य	डिप्लोमा	प्र.अ. लो.स्वा.यां.वि. नया रायपुर	

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्तें लागू होंगी ।
2. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी ।
3. प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है ।
5. अवकाश की पात्रता अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार होगी ।
6. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जाना होगा ।
7. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा ।

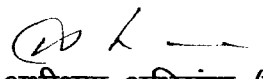
(प्रशि.) 117
अधीक्षण अभियंता
एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षु अधिनियम
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर



पृ.क. 70/8 / त.शा.-2 / F-116-APP(s) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017 नया रायपुर, दिनांक 5-9-17
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कार्यालय....., लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है प्रशिक्षु की उपस्थिति दिनांक 11.09.2017 तक प्राप्त कर उपस्थिति सूचना प्रशिक्षु प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में प्रशिक्षु के उपस्थित नही होने पर कार्यालय को मेल/फैक्स द्वारा अवगत करावें, जिससे कि प्रतीक्षा सूची में से अन्य प्रशिक्षु का चयन प्रस्तावित किया जा सकें।
4. सहायक अभियंता, (एम.आई.एस.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है, कि विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।
5. श्री/कु..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 11.09.2017 तक सूची में दर्शित संबंधित कार्यालय प्रमुख को अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करे। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नही होने पर चयन निरस्त माना जावेगा एवं प्रतीक्षा सूची से अन्य प्रशिक्षु का चयन किया जावेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
6. कार्यालयीन आदेश नस्ती ।

संलग्न:-कमांक 5 के लिए


 अधीक्षण अभियंता (प्रशि.)
 एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षु अधिनियम
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
 छत्तीसगढ़, नया रायपुर